



क्रमांक प्रस्तुति / तात्त्व / 2010 / 16939

दिनांक 08/09/2010

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

प्रार्थी श्री/ मुख्या/ श्रीपति आरती कुमारी
पुत्र/ पुत्री रामस्वरूप
निवासी लाखसानिजा
जिला/ डिविजन कोटा राज्य/ संघ राज्य- राजस्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी/प्रार्थीनी जाति/समुदाय का है जिसे निम्नांकित अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप मान्यता दी गयी है।
जो अनुसूचित जनजाति की सूची संलग्न में क्रम सं 9 पर दर्ज है-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1960

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचीया (संशोधन) आदेश 1956

बन्धव एवं पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966,

हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उत्तरपूर्वीय क्षेत्र (एन्डमान) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा—
—अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गए अनुसार

संविधान (जमू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956

अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा कर्णा संशोधित संविधान—

—(अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1969

संविधान (दादरा तथा नागर हड्डी) अनुसूचित जाति, आदेश 1962

संविधान (दादरा तथा नागर हड्डी) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962

संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

विधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरपूर्वदेश, आदेश 1967

संविधान (पोथा, दमन तथा दोबा) अनुसूचित जाति आदेश 1968

संविधान (मांडा, दमन तथा दोबा) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968

संविधान (नागारेण्डा) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

संविधान (सिविकम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

संविधान (सिविकम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

संविधान (तम्मू एवं काश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1969

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1991

जाति

जला/ डिविजन

आरती कुमारी

मीणा

कोटा

पुत्र/ पुत्री श्री

निवासी

राज्य राजस्थान में साधारण तौर से निवास करता है